Parimal Nathwani
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member:
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Commerce and Industry
Permanent Special Invitee:
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: 011-23794010
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

B/107, Harmu Housing Colony, P. O. Doranda,
P. S. Argora, Ranchi - 834 012
Ph. : 0651-2244144

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड को अधीनस्थ न्यायपालिका के अवसंरचना विकास हेतु रु. 19.06 करोड़ मिले

पिछले उपयोग प्रमाण-पत्र न देने पर '11-12 व '12-13 में कोई अनुदान नहीं

रांची : सितम्बर 6, 2012 : झारखण्ड राज्य सरकार को अब तक अधीनस्थ न्यायपालिका के अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत रु. 19.06 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है। हालांकि वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार से पिछले अनुदान के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर कोई अनुदान जारी नहीं किया जा सका है। केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर के जरिये सदस्य श्री परिमल नथवाणी को यह बताया। श्री नथवाणी ने झारखण्ड सहित राज्यों को निचली न्यायपालिका मे अवसंरचना विकास हेतु केन्द्र से मुहैया कराई जानेवाली निधियों के विषय में जानना चाहा था।

मंत्री महोदय ने आगे बताया कि झारखण्ड सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन मामले के अधीन झारखण्ड सरकार ने 12 जुलाई 2010 और 31 जुलाई 2012 के बीच लगभग रु. 38.64 करोड़ की लागत से 25 न्यायालय भवनों और आवासीय स्थानों की दस परियोजनाओं का निर्माण पूरा किया। आपने कहा कि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करने हेतु राज्य सरकार से पूर्व अनुदान के उपयोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

सदन में प्रस्तुत निवेदन के अनुसार अधीनस्थ न्यायपालिका के अवसंरचना विकास का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार 1993-94 से अधीनस्थ न्यायपालिका की अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों के संसाधन बढ़ा रही हैं। इसकी पद्धति वर्ष 2011-12 से पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों कि लिए 75:25 है; जब कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह 90:10 के अनुपात में है।

मंत्रीजी ने यह भी कहा कि 1993-94 में इस स्कीम के प्रारम्भ से राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए रु. 2111.23 करोड़ में से लगभग रु. 111.15 करोड़ के उपयोग प्रमाण-पत्र वर्ष 2010-11 तक प्राप्त नहीं हुए थे। झारखण्ड के अलावा भी जिन राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को 2011-12 व 2012-13 में अनुदान जारी नहीं किया गया है उनमें बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्कीम, तमिलनाड़, दमण व दीव तथा लक्षद्वीप शामिल हैं।

★ ★ ★